

**न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कपासन, जिला चित्तौड़गढ़**

**पीठासीन अधिकारी- राजेश सुवालका (आर.ए.एस.)**

**प्रकरण संख्या  
93/2025**

**दायर दिनांक  
19.05.2025**

**निर्णय दिनांक  
30.10.2025**

**अनवान**

1. उदयलाल पुत्र भैरू जाति बैरवा आयु वयस्क निवासी लांगच तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।

**प्रार्थी**

**बनाम**

- चन्दा पत्नी मुकेश कुमार जाति सैन आयु वयस्क निवासी लांगच तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
- रतन पिता हजारी जाति डांगी आयु वयस्क निवासी लांगच तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
- टीना पत्नी राजु जाति सैन आयु वयस्क निवासी लांगच तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
- कमला पत्नी धनराज जाति डांगी आयु वयस्क निवासी लांगच तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
- रतनलाल पिता हजारी जाति डांगी आयु वयस्क निवासी लांगच तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
- लक्ष्मीलाल पिता मोहनलाल जाति लोढा आयु वयस्क निवासी लांगच तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
- जेराम पिता जेता जाति बैरवा आयु वयस्क निवासी लांगच तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
- दल्ला पिता जेता जाति बैरवा आयु वयस्क निवासी लांगच तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
- बंशी पिता जेता जाति बैरवा आयु वयस्क निवासी लांगच तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।

**अप्रार्थीगण**

उपस्थिति:- अधिवक्ता श्री शरीफ मोहम्मद  
एक तरफा

प्रार्थी  
अप्रार्थीगण

**—:: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज0 भू-राजस्व अधिनियम::—**

**—:: निर्णय ::—**

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी ने अप्रार्थीगण के विरुद्ध प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 128 राज0 भू-राजस्व अधिनियम, 1956 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा लांगच पटवार हल्का लांगच तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़ की जमाबंदी संवत् 2074-2077 के खाता संख्या 218 की अभिलिखित आराजीयात आराजी संख्या 1442, 1443 कुल किता 02 कुल रकबा 0.3700 हैक्ट0 कृषि भूमि, खाता संख्या 219 की, अभिलिखित आराजीयात आराजी संख्या 1436 कुल किता 01 कुल रकबा 0.0400 हैक्ट0 कृषि भूमि, खाता संख्या 217 की अभिलिखित आराजीयात आराजी संख्या 1435, 1437, 1438, 1439, 1444 कुल किता 05 कुल रकबा 0.8600 हैक्ट0 कृषि भूमि प्रार्थी के संयुक्त खातेदारी एवं कब्जे काश्त की है, और अप्रार्थीगण आराजीयात जैर-बहस के पडौसी खातेदारान है। प्रार्थी एवं विपक्षीगण की आराजीयात के बीच कोई स्थाई सीमा चिन्ह नहीं होने के कारण विवाद होता रहता है अतः प्रार्थी की खातेदारी की



सहायक कलेक्टर  
(उपखण्ड अधिकारी)  
कपासन, जिला-चित्तौड़गढ़

आराजियात की मौके पर अभिलेख अनुसार नपती की जाकर मौके पर स्थाई सीमा-चिन्ह स्थापित किया जावें। प्रार्थी वर्णित भूमि के संयुक्त खातेदार काश्तकार है।

इस पर प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। आज दिनांक को अप्रार्थीगण के विरुद्ध वावजूद सूचना के हाजिर नहीं आने से एक तरफा कार्यवाही की गई। हाजिर वकील प्रार्थी द्वारा एक तरफा बहस बाबत निवेदन किया जो स्वीकार किया जाकर बहस एकतरफा सुनी गयी। हाजिर वकील प्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया कि मामला पत्थरगढी का है व प्रार्थी अपनी आराजीयात की पत्थरगढी कराना चाहते हैं, अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावें। हमने प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। चिंतन मनन किया एवं पत्रावली को वास्ते आदेश नियत किया गया।

हमने पत्रावली का आद्यौपान्त अवलोकन किया। प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत राजस्व अभिलेख नकल जमाबन्दी का अवलोकन किया गया। प्रकरण के तथ्यों व बहस पर मनन किया। प्रार्थी आराजियात जैरबहस के खातेदार काश्तकार हो कर इन्हें आराजीयात जैर-बहस की नपती करा पत्थरगढी कराने का अधिकार निहित है। उपर्युक्त विवेचन के क्रम मे प्रार्थी प्रार्थना पत्र में अंकित भूमि के खातेदार काश्तकार होने से सीमाज्ञान कराने के अधिकारी होने से प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 128 राज0 भू-राजस्व अधिनियम, 1956 स्वीकार किया जाता है कि प्रार्थी की खातेदारी की आराजीयात मौजा लांगच पटवार हल्का लांगच तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ की जमाबंदी संवत् 2074-2077 के खाता संख्या 218 की अभिलिखित आराजीयात आराजी संख्या 1442, 1443 कुल किता 02 कुल रकवा 0.3700 हैक्ट0 कृषि भूमि, खाता संख्या 219 की अभिलिखित आराजीयात आराजी संख्या 1436 कुल किता 01 कुल रकवा 0.0400 हैक्ट0 कृषि भूमि, खाता संख्या 217 की अभिलिखित आराजीयात आराजी संख्या 1435, 1437, 1438, 1439, 1444 कुल किता 05 कुल रकवा 0.8600 हैक्ट0 कृषि भूमि फरीकेन मुकदमा को सूचित किया जाकर उनकी उपस्थिति में किसी न्यायालय का स्थगन न हो तो, किसी को बिना वेदखली एवं बिना किसी के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी किये पत्थरगढी की जावे। पत्थरगढी हेतु भू0अभि0निरी0 सिंहपुर को 1000/- रुपये शुल्क पर मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाता है, कमिश्नरी शुल्क का रिकार्ड विधिवत संधारित किया जाकर पालना रिपोर्ट मय पर्चा मौका एवं मौका नक्शा इस न्यायालय में आवश्यक रूप से पेश करे तथा कमिश्नरी फीस प्रार्थी से मौके पर प्राप्त करें। पालनार्थ तहसीलदार कपासन को तहरीर जारी करे।

पत्रावली की निर्णित इन्द्राज की जाकर वाद आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में भिजवाई जावें। निर्णय आज दिनांक 30.10.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(साजेश सुमेलिका)  
उपखण्ड अधिकारी  
कपासन कपासन